

अनुदान संख्या 10 - कोयला मंत्रालय
GRANT No. 10-MINISTRY OF COAL

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	349,00,00	282,88,17	-66,11,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			66,07,36
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	30,00,00	27,05,50	-2,94,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,86,15

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1573.00			
पु.	R.	-401.68			
			1171.32	1162.23	-9.09
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम और रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment				
मू.	O.	3052.00			
पु.	R.	-182.00			
			2870.00	2878.00	+8.00

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2803" कोयला और लिग्नाइट	Major Head "2803" Coal and Lignite			
मू.	O.	28845.00	24251.32	24247.94
पु.	R.	-4593.68		
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	1430.00
पु.	R.	-1430.00

(I) 5130.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत छह मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.5130.00 lakhs remained wholly unutilised in six cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2803" -

(A) Major Head "2803" -

(क) "कोयला और लिग्नाइट कम्पनियों को सहायता - कोयला पूरित क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के अंतर्गत अदायगी" - 2200.00 लाख रु. योजना आयोग द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(a) "Assistance to Coal and Lignite Companies - Payment against collection of cess (Excise duty) towards Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - Rs.2200.00 lakhs - due to non-approval of scheme by the Planning Commission.

(ख) "अन्य व्यय - पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्रण" - 1500.00 लाख रु. झरिया और रानी गंज कोयला पूरित क्षेत्रों के लिए सभी पर्यावरणीय उपाय और अवतलन स्कीमों का वृहत योजना में विलय कर दिए जाने के कारण थे।

(b) "Other Expenditure - Environmental Measures and Subsidence Control" - Rs.1500.00 lakhs - due to merger of all EMSC Schemes with the Master Plan for Jharia and Raniganj Coal fields.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(B) Major Head "2552" -

(क) "कोयला और लिग्नाइट - अन्य व्यय" -

(a) "Coal and Lignite - Other Expenditure" -

- | | |
|--|--|
| (i) "क्षेत्रीय अन्वेषण - 345.00 लाख रु.; | (i) "Regional Exploration" – Rs.345.00 lakhs; |
| (ii) "पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्रण"- 175.00 लाख रु.; | (ii) "Environmental Measures and Subsidence Control" – Rs.175.00 lakhs; |
| (iii) "विस्तृत तलभेदन" - 680.00 लाख रु.; और | (iii) "Detailed Drilling" – Rs.680.00 lakhs; and |
| (ख) "कोयला और लिग्नाइट - अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें" - 230.00 लाख रु.। | (b) "Coal and Lignite –Research and Development – Other Schemes"– Rs.230.00 lakhs. |

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कोयला कम्पनियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू किए जाने के लिए किसी स्कीम के मौजूद न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-existence of any scheme to be implemented in North Eastern Region by the Coal companies.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कोयला मंत्रालय" के अंतर्गत 410.77 लाख रु. की बचत (1573.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद के मूर्तरूप न लेने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Coal" – saving of Rs.410.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1573.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of purchase of Information and Technology equipments and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम - श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम" के अंतर्गत 174.00 लाख रु. की बचत (182.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम को सरकारी अंशदान बंद किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2230" – "Labour – Social Security for Labour - Deposit Linked Insurance Scheme" – saving of Rs.174.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.182.00 lakhs) was due to discontinuation of Government contribution to the Deposit Linked Insurance Scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष "2803" - "अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें" - के अंतर्गत 900.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू किए जाने के लिए रुचि प्रकट किए जाने के प्रति पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त न होने और कुछ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी/अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2803" – "Research and Development –Other Schemes" – saving of Rs.900.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to inadequate response to expression of Interest for taking up new Research and Development Projects and rescheduling of some of the Science and Technology/ Research and Development Projects.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

2. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष
मुख्य शीर्ष "4803"
कोयला और लिग्नाइट
पर पूंजीगत परिव्यय

Head
Major Head "4803"
Capital Outlay on
Coal and Lignite

मू.	O.	3000.00	2713.85	2705.50	-8.35
पु.	R.	-286.15			

(I) "अन्य व्यय - कोयला पूरित क्षेत्रों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 294.50 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोयला कंपनियों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure – Acquisition of Coal Bearing Areas" – saving of Rs.294.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to non-receipt of reimbursement claims from the Coal Companies.

3. कोयला खान श्रमिक आवास तथा सामान्य कल्याण निधि:-

कोयला खान कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अधीन कोयला और कोक के प्रेषण पर लगाए गए उपकर की प्राप्तियां शीर्ष "0038" - "संघ उत्पाद शुल्क" को जमा की जाती हैं तथा बजटीय आवंटन के माध्यम से कुछ राशि निधि को अंतरित कर दी जाती थी। यह अधिनियम 01 अक्टूबर, 1986 को निरस्त कर दिया गया, तथापि, संपूर्ण राशि भारत की समेकित निधि को अंतरित नहीं की गई थी।

3. Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund:-

The proceeds of cess levied on the despatch of Coal and Coke under Coal Mines Welfare Fund Act, 1947 are credited to the head "0038" "Union Excise Duties" and some amount out of it was being transferred to the fund through budgetary allocation. The said Act has been repealed on 1st October, 1986, however, all the amounts were not transferred to Consolidated Fund of India.

वर्ष 2009-10 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

The account of the fund for the year 2009-10 was as follows:-

अथशेष	Opening Balance	11,65,25
प्राप्तियां	Receipts	. .
अदायगियां	Payments	22,40
अंतशेष	Closing Balance	11,42,85

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)